भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2247
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

अनाथ बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

2247. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनाथ/परित्यक्त बच्चों/एकल माता-पिता वाले बच्चों की संख्या का सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इन कमजोर बच्चों को एकीकृत सुरक्षात्मक नेटवर्क में समेकन करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा उनके कल्याण हेतु शुरू की गई शैक्षिक सहायता, स्वास्थ्य बीमा, वित्तीय सहायता आदि योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(ङ) इन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उन्हें प्रदान की जा रही पुनर्वास एवं कौशल विकास सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक कानून है। यह देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुन:एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जेजे अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय है।

जेजे अधिनियम 2015 के अंतर्गत, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों सहित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) के कार्यों की निगरानी करने का भी अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम में सीसीआई में रहने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए देखरेख और संरक्षण के मानकों को परिभाषित किया गया है और इसका उद्देश्य गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं, जिनमें प्रायोजन, पालन-पोषण और पश्चात देखरेख शामिल है, के माध्यम से पारिवारिक वातावरण प्रदान करना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अनाथ बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वनिर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना में संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख प्रदान की जाती है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख सेवा के अंतर्गत, प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख, दत्तक ग्रहण और पश्चात देखरेख के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 1405.53 करोड़ रुपये जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक

"अनाथ बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ" के संबंध में श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा पूछे गए दिनांक 12.12.2025 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2247 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	2152
2	अरुणाचल प्रदेश	420
3	असम	1615
4	बिहार	2958
5	छत्तीसगढ़	1876
6	गोवा	519
7	गुजरात	2393
8	हरियाणा	946
9	हिमाचल प्रदेश	1390
10	जम्मू और कश्मीर	1385
11	झारखंड	1995
12	कर्नाटक	4587
13	केरल	1345
14	मध्य प्रदेश	2303
15	महाराष्ट्र	3667
16	मणिपुर	2296
17	मेघालय	990
18	मिजोरम	1348
19	नागालैंड	621
20	ओडिशा	4627
21	पंजाब	506
22	राजस्थान	3958
23	सिक्किम	660
24	तमिलनाडु	12438
25	तेलंगाना	2485
26	त्रिपुरा	1085

27	उत्तर प्रदेश	5420
28	उत्तराखंड	868
29	पश्चिम बंगाल	7615
30	अंडमान और निकोबार	263
31	चंडीगढ़	344
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	64
33	लद्दाख	77
34	लक्षद्वीप	0
35	दिल्ली	1012
36	पुदुच्चेरी	654

(ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर-संस्थागत देखरेख (प्रायोजन, फ़ॉस्टर केयर और दत्तक ग्रहण) में लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	14187
2	अरुणाचल प्रदेश	1318
3	असम	2400
4	बिहार	6001
5	छत्तीसगढ़	1550
6	गोवा	93
7	गुजरात	472
8	हरियाणा	880
9	हिमाचल प्रदेश	2028
10	जम्मू एवं कश्मीर	5092
11	झारखंड	6793
12	कर्नाटक	18673
13	केरल	2182
14	मध्य प्रदेश	20572
15	महाराष्ट्र	32520
16	मणिपुर	1932
17	मेघालय	1285
18	मिजोरम	2011
19	नागालैंड	789
20	ओडिशा	5545
21	पंजाब	2483
22	राजस्थान	475
23	सिक्किम	427
24	तमिलनाडु	8116
25	तेलंगाना	7287
26	त्रिपुरा	2059
27	उत्तर प्रदेश	15000
28	उत्तराखंड	1631
29	पश्चिम बंगाल	4125
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
31	चंडीगढ़	350

32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	929
33	लद्दाख	482
34	लक्षद्वीप	0
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	952
36	पुदुच्चेरी	256

*****